संख्या–197 /VI–1/2006

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून : दिनांक 28 मार्च, 2006

विषय :–वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि को सांस्कृतिक कार्यक्रमों/महोत्सवों/पर्वो/मेलों आदि के आयोजन हेतु धनावंटन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय, उत्तरांचल देहरादून के पत्र संख्या–1365/सं0नि0उ0/दो–3/2005–06 दिनांक–21 मार्च 2006 के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग द्वारा समय–समय पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों/महोत्सवों/पर्वो/मेलों आदि के आयोजनों पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति यथा विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं/फर्मो के लम्बित देयकों के भुगतान के लिए रूपये 1996.750 (रूपये उन्नीस लाख छानवे हजार सात सौ पच्चास मात्र) धनराशि संस्कृति विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं के मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि को आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(क) लेखाशीर्षक 2205– कला एवं संस्कृति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–

क्र0 सं0	मानक मद	आयोजनागत (धनराशि हजार रूपये में)
1.	42– अन्य व्यय	1096.750
	योग	1096.750

(ख) लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन

क्र0 सं0	मानक मद	आयोजनागत
1.	07–पारम्परिक उत्सवों में कलाकार तथा तकनीकी योगदान 02–मजदूरी	900.00
	योग	1996.75

(रूपये उन्नीस लाख छानवे हजार सात सौ पच्चास मात्र)

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3. बजट मैनुअल/वित्त हस्त पुस्तिका एवं स्टोर परचेज रूल्स/डी0जी0एस0एन0डी0 की दरें अथवा टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के सम्बंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय।

5 उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 1347 /वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनु0–3/2006 दिनांक 24 मार्च 2006 में प्रदत्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव

संख्या– /VI-I/ 2006, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
4 अपर सचिव, नियोजन।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
7. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय।
8 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव